



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 245 राँची, शुक्रवार,

5 जून, 2020 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

अधिसूचना

6 मई, 2020

संख्या-05/सी०सी०ए०/01/90/2017- 1471 -- उपायुक्त-सह-जिला-दण्डाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पत्रांक- 90(A)/विधि, दिनांक 08-04-2020 एवं उपायुक्त-सह-जिला-दण्डाधिकारी, धनबाद के पत्रांक- 498/गो०, दिनांक 27-03-2020 द्वारा इन जिलों में आपराधिक एवं नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 के तहत शक्ति प्रत्यायोजन का अनुरोध किया गया है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी के इस प्रतिवेदन से झारखण्ड सरकार को संतुष्ट होने का पर्याप्त आधार है कि पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/धनबाद जिला में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों को निरुद्ध करने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना सामान्य दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 अंगीकृत की धारा-12 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हेतु झारखण्ड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर/धनबाद जिला के उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी को उक्त अधिनियम की धारा-12 (2) के अधीन पत्र निर्गत की तिथि से आगामी तीन माह तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

धनेश कुमार

सरकार के अवर सचिव ।